

By: Sumita Kumari
Dept. of History
J.N.C. Madhubani

B.A. History (H)
Sem. II

Date: 11.05.2020
Paper: III

(1)

अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों की मुख्य विशेषताएँ (Bringing out the salient features of Alauddin Khilji's administrative reforms)

अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार निम्नलिखित थे: —

- * 1. केंद्रीय शासन: — अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का सर्वोच्च आधिकार था। राज्य की सर्वोच्च शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी। वही राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश एवं प्रधान सेनापति था। वह सर्वोच्च प्रभुता सम्पन्न एवं निरंकुश शासक था तथा इसकी इच्छा ही कानून थी। वही मंत्रियों, सेनापतियों, न्यायाधियों एवं प्रांतपालियों की नियुक्ति करता था अथवा उन्हें पदच्युत कर सकता था। जिस प्रकार फ्रांस का सम्राट लुई चौहवाँ कहा करता था कि "मैं ही राज्य हूँ।" उसी प्रकार अलाउद्दीन अपने आप को राज्य में सर्वोपारे मानता था। यद्यपि उसने शासन कार्यों में सहयोग एवं सलाह प्राप्त करने के लिए एक मंत्रिमण्डल का गठन किया था, परन्तु, उसने अपने मंत्रियों के सलाह स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं था। सुल्तान का समस्त विभागों पर दृढ़ नियंत्रण नियंत्रण था। अमीरकी, उलैमा की तथा प्रांतपालियों पर भी अलाउद्दीन का पूर्ण नियंत्रण था तथा अमीरों की स्थिति उसके स्वकीय अधिकार प्रमाणांक की ही हो गयी थी।

* 2. अमीर की का दमन:- अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी पर बैठने से महत्वाकांक्षी अमीरों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों में नव मुसलमानों का विद्रोह, अकत खाँ का विद्रोह, उमर और मंगूखाँ का विद्रोह तथा हज्जी मौला का विद्रोह सम्मिलित था। अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहों के कारणों का विश्लेषण किया और अंत में इस निर्णय पर पहुँचा कि विद्रोहों के प्रमुख चार कारण हैं:-

(i) सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था का अभाव

(ii) शराब पीना और शराब को दबाने अपोजित करना।

(iii) लोगों के पास अनुप चतन-संपत्ति का संग्रह करना।

(iv) अमीरों-सरदारों के आपस सामाजिक तथा वैवाहिक संबंध।

(i) अमीरों चतन-संपत्ति जप्त करना:- सुल्तान ने एक अध्यादेश जारी कर अमीरों को चतन-संपत्ति जप्त कर ली। अमीरों को जो जागीरें अपने स्वयं से प्राप्त हुई थी या इनाम अथवा पेंशन के रूप में मिली थी, जप्त कर ली गई।

(ii) गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन:- दूसरे अध्यादेश द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर विभाग का पुनर्गठन किया। सम्पूर्ण साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछा दिया गया।

(iii) मद्यपान पर प्रतिबन्ध:- तीसरे अध्यादेश द्वारा सुल्तान ने शराब पीने तथा शराब बेचने का निषेध कर दिया। सुल्तान ने स्वयं शराब पीना बंद कर दिया और शराब पीने के वर्तन तुड़वा दिए। शराब पीने वालों तथा शराब बेचने वाले लोगों को कड़ी सजा दे दी जाती थी।

(iv) अमीरों के विवाह-संबंधों पर प्रतिबन्ध:- सुल्तान ने चौथे अध्यादेश द्वारा अमीरों और सरदारों की हावों पारस्परिक मोघ-जोघ और विवाह संबंधों नहीं कर सकते थे।

* 3. पुलिस व्यवस्था :- कोतवाल पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी था। कानून तथा व्यवस्था को रखा कला उसका प्रमुख कर्तव्य था। सुल्तान की अनुपस्थिति में वह सत्ता की देखभाल करता था। सुल्तान ने पुलिस विभाग में सुधार किए तथा कुछ नये पद सृजित किए।

* 4. मुल्तचर व्यवस्था :- अलाउद्दीन खिल्जी ने एक अच्छे मुल्तचर विभाग गठन किया। सुल्तान ने सम्पूर्ण साम्राज्य में मुल्तचरों का जाल बिछा दिया। गुल्ाम अमीरों के घोरों, दफतरी प्रान्तीय राजधानियों तथा बजारों में नियुक्त किए गये, ये मुल्तचर सुल्तान को अमीरों तथा उच्चाधिकारियों की गतिविधियों एवं राज्य में घटनेवासी प्रत्येक घटना की सूचना देते थे।

* 5. न्याय व्यवस्था :- अलाउद्दीन खिल्जी न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। वह सर्वोच्च न्यायधीश के रूप में न्याय करता था तथा मुकदमों और अपील सुनता था और अपना निर्णय देते थे। सुल्तान के परचाह न्याय विभाग के प्रमुख कामी-उल-कमान (प्रिचन कामी) हुआ करता था। जलों में न्याय का कार्य सूबेदार तथा कामी करते थे। प्रमुख नगरों में अमीर-ए-दाद नामक अधिकारी भी होते थे। दण्ड व्यवस्था बड़ी कठोर थी। मृत्यु दण्ड, अंग-भंग कला, औरंग निहल देना, कोड़ लगाना, कठोर कोठवास का दण्ड आदि अनेक प्रकार के कठोर दण्ड प्रचालित थे। इस कठोर दण्ड व्यवस्था के कारण साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित थी तथा चोरों, डाकुओं और लुटेरों का आतंक नहीं था।

* 6. डाक व्यवस्था:- अलाउद्दीन खिलजी ने डाक-व्यवस्था का भी प्रवर्धन किया। कर्नो का कथन है कि जब सूरी सुल्तान दुर्रफ़ प्रदेशों में सैनिक अभियान भेजता था, तो वह सैनिकों के पहुँचने के साथ तथा राजधानी के बीच चौकियाँ स्थापित करता था। इन चौकियों पर दूतों को पायक नियुक्त करते थे। ये आखिर प्रतिदिन अपना प्रत्येक तीसरे दिन सैनिकों के समस्त समाचार सुल्तान को पहुँचाते थे।

* 7. सैनिक सुधार:- मंगोलों के आक्रमणों को रोकने के लिए आंतरिक विद्रोहों का दमन करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए एवं निर्दोश प्रशासन का संचालन करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना का गठन का निश्चय किया।

उपरोक्त सुधारों के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी एक सामर्थ्यशाली सेना संगठित करने में सफल हुआ। उ० ए० एम० श्रीवास्तव का कथन है कि "अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने एक सामर्थ्यशाली स्थायी सेना की नींव डाली और उसमें विद्यमान भ्रष्टाचार को जड़ से नष्ट कर दिया। वह पहला तुर्क विजेता था जिसने विन्ध्याचल पर्वत के उस पार के दम सरवा और समस्त दक्षिण भारत को जीतकर उसे दिल्ली के ताज के सम्मुख नतमस्तक किया।"
